फर्द अहकाम

प्रदीप बनाम सिक्स स्टार लैण्ड स्केप प्रा. लि.

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 36/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	24/11/25	आज दिनांक 24/11/25 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पीओसा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/11/25 को पेश हों। आपत्ति प्रार्थनापत्र बाबत कुरेजात रिपोर्ट पेश किया। शामिल मिसल।
	25/11/25	आज दिनांक 25/11/25 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26/11/25 को पेश हों।
	26/11/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र आपत्ति बाबत कुरेजात रिपोर्ट पर सुनी गई। आपत्ति प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि तहसीलदार आमेर द्वारा मौका स्थिति व कब्जा काश्त के विपरीत कुरेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जिसके अन्तर्गत प्रार्थी प्रतिवादी के हितों को कोई इन्द्राज नहीं रखा गया है तथा विधिक विभाजन के प्रावधान अनुसार तैयार नहीं की गई है

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

— P.T.O.

फर्द अहकाम

प्रदीप बनाम सिक्स स्टार लैण्ड स्केप प्रा. लि.

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

36/2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
26/11/25	तथा सड़क पर हक हिस्सानुसार फ्रंट का ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त भी खसरा नं. 54, 55 के दक्षिणी ओर मिन प्रार्थी प्रतिवादी की अन्य भूमि स्थित है। जिसको इन्द्राज नहीं रखा जाकर भूमि हिस्सा प्रस्तावित किया गया है। जिसके प्रार्थी प्रतिवादी की भूमि इकजाई नहीं होकर भूमि के 2 टुकड़े हो गए हैं तथा प्रस्तावित खसरा नं. 54, 55 के अन्तर्गत अप्रार्थी वादी का कोई कब्जा काश्त, हक हिस्सा नहीं होने के उपरान्त भी अप्रार्थी वादी को खसरा नं. 54, 55 प्रस्तावित कर दिया गया है जो विधिसम्मत नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र आपत्ति स्वीकार फरमाया जाकर पटवारी की कायम अनुसार सुनाई की जाकर प्रकरण का निस्तारण फरमाया जावे। अप्रार्थी वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करते हुए मौखिक बहस के रूप में कथन किया गया है कि मिन अप्रार्थी वादी द्वारा विधिवत भूमि क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त किया गया है तथा कब्जा अनुसार ही मिन अप्रार्थी वादी मौके पर काबिज है। जिसको इन्द्राज रखते हुए ही भूमि का विधिवत विभाजन प्रस्तावित किया गया है जिसके अन्तर्गत मिन अप्रार्थी वादी को मौका कब्जा व हिस्सानुसार भूमि प्रदत्त करते हुए कोने की भूमि प्रस्तावित की गई है तथा हिस्सा व मौका कब्जा अनुसार मिन अप्रार्थी वादी को अन्यत्र भूमि/हिस्सा प्रस्तावित किया	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

— P.T.O.

फर्द अहकाम

प्रदीप बनाम सिक्स स्टार लैंड स्केप प्रा. लि.

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 36/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	26/11/25	जाना अपेक्षित नहीं था। जो कि विधिसम्मत तथ्य भी है। इसके अतिरिक्त भी उपखण्डानुसार प्रस्तावित हिस्सानुसार प्रार्थी प्रतिवादी की भूमि के कोई खंड (टुकड़े) नहीं हुए हैं अपितु प्रार्थी को वाद भवन सम्पूर्ण भूमि एकजाई प्रस्तावित की गई है। जिसके अन्तर्गत पक्षकारान के आवागमन व अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को भी दृष्टिगत रखा गया है। तथा जिन अप्रार्थी वादी को प्रस्तावित नक्शा अनुसार उल्लेखित भूमि के मध्य में अथवा अन्यत्र भी हिस्सा प्रस्तावित किया जाना अपेक्षित व संभव नहीं था एवं वाद बहुलता के दृष्टिगत व प्रावधान अनुसार भी जिन अप्रार्थी वादी को किनारे (कोने) अनुसार ही भूमि प्रदत्त की जानी अपेक्षित थी। ~~अतः~~ पक्षकारान की सहजता, सुलभता, अनुकूलता के दृष्टिगत एवं प्रावधानों की उचित पालना के दृष्टिगत अन्य कोई वैकल्पिक हिस्सा प्रस्तावित अपेक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से खारिज फरमाया जावे। हमने उपरोक्त कारण अधिवक्तागण की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। कुरेजात रिपोर्ट के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार आमेर द्वारा विधिसम्मत आधार पर कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई है। जिसके अन्तर्गत भूमि को अखंडित (एकजाई) रखने तथा मौका कब्जा एवं वाद बहुलता को दृष्टिगत रखा गया प्रदर्शित प्रतीत होता ह/ -- P.T.O.	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

प्रदीप बनाम सिक्स स्टार लैंड स्केप प्रा. लि.

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 36/2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
26/11/25	है। जिसके अनुसार अप्रार्थी वादी को एक कोने में, किनारे अनुसार भूमि प्रस्तावित की गई है तथा वादबहुलता व प्रावधानों के दृष्टिगत भी अप्रार्थी को किनारे अनुसार ही भूमि प्रस्तावित किया जाना अपेक्षित है जहाँ तक अप्रार्थी वादी को खसरा नं. 54, 55 के रूप में भूमि प्रस्तावित किए जाने का है तो उक्त संदर्भ में प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई विशिष्ट आधार व साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, ना ही ऐसा कोई विशिष्ट उल्लेख प्रदर्शित किया गया है। जिसके अनुसार अप्रार्थी वादी को अन्य किसी विशिष्ट स्थान पर हिस्सा प्रस्तावित किए जाने के उपयुक्त आधार की पुष्टि होती हो अथवा अप्रार्थी वादी का विशिष्ट कब्जा काश्त खसरा नं. 54, 55 पर स्थित नहीं होकर अन्यत्र स्थित होना प्रमाणित होता हो। प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा अप्रार्थी वादी के अन्यत्र कब्जा काश्त व स्वयं के खसरा नं. 54, 55 पर विशिष्ट कब्जा काश्त को प्रमाणित नहीं किया गया है जबकि प्रस्तावित नक्शा अनुसार अप्रार्थी वादी को किनारे/कोने पर हिस्सा प्रस्तावित किया गया है। जिसका कोई वैकल्पिक आधारभूत प्रस्ताव प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही प्रस्तुत नक्शा कुरेजात अनुसार भूमि के खंडित (टुकड़े) होने की पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त खसरा नं. 54, 55 के सीमा लगवा दक्षिणी दिशा में प्रार्थी प्रतिवादी की अन्य भूमि होने बाबत कोई साक्ष्य अभिलेख भी पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी ह/ -- P.T.O.	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

प्रदीप बनाम सिक्स स्टार लैंड स्के

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 36/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	26/11/25	प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आपत्ति मात्र औपचारिक, मौखिक कथनों मात्र पर आधारित प्रतीत है, जो साक्ष्य आधारित भी नहीं है। अतः कुरेजात रिपोर्ट के संदर्भ में प्रस्तुत आपत्ति पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 38 लगायत 41, 43 लगायत 63 कुल खसरा किता 25 कुल रकबा 3.48 हे. वाके ग्राम कुशलपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर के संदर्भ में प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादीगण अंतिम डिक्री किया जाता है। प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट निर्णय/डिक्री का अजूज हिस्सा रहेगी। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली मुकम्मल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय** जयपुर
इजलास **डॉ लक्ष्मीनारायण बुनकर, आर.ए.एस**

वाद संख्या : 36/2025 **निर्णय दिनांक : . 26.11.2025**

1. प्रदीप कुमार गुर्जर पुत्र रामरूप गुर्जर
2. सुरज्ञान सिंह गुर्जर पुत्र मानसिंह गुर्जर
   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुमेल कला तहसील बांदीकुई जिला दौसा
3. हिमांशु गुर्जर पुत्र श्री रामसिंह गुर्जर जाति गुर्जर निवासी 11गणेश मन्दिर सामने भांडेडा जिला दौसा

वादी

बनाम

1. सिक्स स्टारलेण्ड स्केप प्रा0 लि0 जरिये निदेशक रामबाबू अग्रवाल पुत्र श्री बृजमोहन अग्रवाल जाति महाजन निवासी आर–13 बृज निकुंज युधिष्ठिर मार्ग सी–स्कीम जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर

.प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी द्वारा तहसीलदार आमेर की ओर से प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट (प्रस्ताव) पर सहमति व्यक्त की गई **है तथा** अवलोकन अनुसार भी कुरेजात रिपोर्ट विधिपूर्वक व विधिसंम्मत रूप से तैयार कर प्रस्तुत की गई **प्रदर्शित** होती है। कुरेजात रिपोर्ट के संदर्भ में आपत्ति के आधार बिन्दुओं की पुष्टि के संदर्भ में प्रार्थी प्रतिवादी **की** ओर से कोई मान्य साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है। जबकि कुरेजात रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार **कुरेजात** रिपोर्ट उपयुक्त आधार अनुसार तैयार कर प्रस्तुत की गई प्रदर्शित है। इस प्रकार प्रार्थी प्रतिवादी **की ओर से** प्रस्तुत आपत्ति मात्र औपचारिक, मौखिक कथनों मात्र पर आधारित प्रतीत है, जो साक्ष्य आधारित **नहीं है।** अतः कुरेजात रिपोर्ट के संदर्भ में प्रस्तुत आपत्ति पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाकर वादग्रस्त **भूमि** खसरा नम्बर 38 लगायत 41, 43 लगायत 63 कुल खसरा किता 25 कुल रकबा 3.48 हैक्टेयर वाके **ग्राम** कुशलपुरा के संदर्भ में प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादी निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता **है।** प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट निर्णय डिकी का अजूज हिस्सा रहेगी।

वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्टि

क्र.स.	खातेदार का नाम	खसरा	रकबा	किस्म	लगान
1	प्रदीप कुमार गुर्जर पुत्र रामरूप गुर्जर हि. 1/72 जाति गुर्जर निवासी सुमेल कलां तहसील बांदीकुई जिला दौसा राजस्थान खातेदार	38	0.14	बारानी 2	0.49
		39	0.18	बारानी 2	0.63
2	सुरज्ञान सिंह गुर्जर पुत्र मानसिंह गुर्जर हि. 1/72 जाति गुर्जर निवासी सुमेल कलां पोस्ट खुरला जिला दौसा राजस्थान खातेदार	40	0.10	बारानी 2	0.35
		41	0.09	बारानी 2	0.32
		43	0.71	बारानी 2	2.49
3	हिमांशु गुर्जर पुत्र रामसिंह गुर्जर हि. 1/36 जाति गुर्जर निवासी 11 गणेश मन्दिर के सामने, भांडेडा जिला दौसा, राजस्थान खातेदार	44	0.30	बारानी 2	1.05
		45	0.21	बारानी 2	0.74
		46	0.08	चाही 1	2.76
4	सिक्स स्टारलेण्ड स्केप प्रा.लि.जरिये निदेशक रामबाबू अग्रवाल पुत्र स्व. बृजमोहन अग्रवाल हि. 17/18 जाति महाजन निवासी आर–13 बृज निकुंज युधिष्ठिर मार्ग सी–स्कीम जयपुर खातेदार	47	0.10	चाही 1	3.45
		48	0.25	बारानी 2	0.88
		49	0.05	बारानी 2	0.18
		50	0.06	बारानी 2	0.21
		51	0.14	चाही 1	4.83
		52	0.06	चाही 1	2.07
		53	0.14	चाही 1	4.83
		54	0.09	चाही 1	3.11
		55	0.07	चाही 1	2.42
		56	0.03	गै.मु.चाह	–
		57	0.05	चाही 1	1.73
		58	0.15	चाही 1	5.18
		59	0.05	चाही 1	1.73
		60	0.05	बारानी 2	0.18
		61	0.06	बारानी 2	0.21
		62	0.08	चाही 1	2.76
		63	0.24	चाही 1	8.28
	कुल किता	25	3.48	–	50.88

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर

कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	प्रदीप कुमार गुर्जर पुत्र रामरूप गुर्जर हि. 1/4 जाति गुर्जर निवासी सुमेल कलां तहसील बांदीकुई जिला दौसा राजस्थान खातेदार सुरज्ञान सिंह गुर्जर पुत्र मानसिंह गुर्जर हि. 1/4 जाति गुर्जर निवासी सुमेल कलां पोस्ट खुरला जिला दौसा राजस्थान खातेदार हिमांशु गुर्जर पुत्र रामसिंह गुर्जर हि. 1/2 जाति गुर्जर निवासी 11 गणेश मन्दिर के सामने, भांडेडा जिला दौसा, राजस्थान खातेदार	53/1 54 55	0.033 0.09 0.07	चाही 1 चाही 1 चाही 1	1.14 3.11 2.42
	कुल किता	3	0.1930	–	6.67
2	सिक्स स्टारलैण्ड स्केप प्रा.लि.जरिये निदेशक रामबाबू अग्रवाल पुत्र स्व. बृजमोहन अग्रवाल हि. संपूर्ण जाति महाजन निवासी आर–13 बृज निकुंज युधिष्ठिर मार्ग सी–स्कीम जयपुर खातेदार	38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53/2 56 57 58 59 60 61 62 63	0.14 0.18 0.10 0.09 0.71 0.30 0.21 0.08 0.10 0.25 0.05 0.06 0.14 0.06 0.107 0.03 0.05 0.15 0.05 0.05 0.06 0.08 0.24	बारानी 2 बारानी 2 बारानी 2 बारानी 2 बारानी 2 बारानी 2 बारानी 2 चाही 1 चाही 1 बारानी 2 बारानी 2 बारानी 2 चाही 1 चाही 1 चाही 1 गै.मु.चाह चाही 1 चाही 1 चाही 1 बारानी 2 बारानी 2 चाही 1 चाही 1	0.49 0.63 0.35 0.32 2.49 1.05 0.74 2.76 3.45 0.88 0.18 0.21 4.83 2.07 3.69 – 1.73 5.18 1.73 0.18 0.21 2.76 8.28
	कुल किता	23	3.287	–	44.21

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का विभाजन मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह..................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दरतखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.11.2025 को जारी की गई।

मुहर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
ओहदा ...... मुख्यालय-जयपुर

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	02		स्टाम्प अर्जी	02	
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर